

बना किसी वपिक्ष के चुनाव जीतना

यह एडिटोरियल 26/04/2024 को 'द हद्द' में प्रकाशित [“Questioning the polls ‘rain washes out play’ moments”](#) लेख पर आधारित है। इसमें गुजरात के सूरत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहे एक उम्मीदवार के निर्वाचन निर्वाचति हो जाने और देश भर में चुनावी एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसके प्रभावों के संबंध में चर्चा की गई है।

प्रलमिस के लयि:

[निर्वाचन आयोग](#), [इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें](#), [61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1984](#), [बुथ कंपचरगि](#), [आदर्श आचार संहति](#), [वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल \(VVPAT\)](#), [मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त \(नयुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यालय की अवधि\) अधिनियम, 2023](#), [लोकसभा](#), [राज्यसभा](#), [राज्य विधानसभाएँ](#)।

मेन्स के लयि:

'निर्वाचन निर्वाचति होने' के परिणाम तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव।

गुजरात के सूरत [लोकसभा](#) निर्वाचन क्षेत्र से सत्तारूढ़ दल (भाजपा) के उम्मीदवार या अभ्यर्थी को निर्वाचन निर्वाचति घोषित किया गया है। यह निर्वाचन निर्वाचन की स्थिति बनती है जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में अन्य सभी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लें या अयोग्य घोषित कर दिए जाएँ, जिससे मैदान में केवल एक उम्मीदवार रह जाए। जब ऐसा परिदृश्य उत्पन्न होता है तब औपचारिक रूप से निर्वाचन कराने की आवश्यकता के बिना ही उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। यहाँ एक विजिता तो होता है लेकिन कोई 'पराजित' पक्ष नहीं होता। यहाँ केवल वे ही होते हैं जिनमें नयिमें के तहत मैदान से बाहर कर दिया गया और जिनमें 'स्वेच्छया' अपना नाम वापस लेने का निर्णय लिया।

निर्वाचन संबंधी कानूनों और व्यवहार के मौजूदा प्रावधानों में निर्वाचन निर्वाचति होना पूर्णतः वैध है। कोई व्यक्ति लोगों द्वारा उसे निर्वाचति किये जाने के बिना ही सबसे बेहतर प्रतिनिधि के रूप में उभरता है, क्योंकि मतपत्र पर वही एकमात्र विकल्प होता है। यह अपेक्षित प्रयास के बिना ही कुछ हासिल कर लेने जैसा है। अब तक कम से कम 35 उम्मीदवार ऐसे रहे हैं जो लोकसभा के लिये निर्वाचन निर्वाचति हुए। इनमें से अधिकांश मामले स्वतंत्रता के बाद आरंभिक दो दशकों में सामने आए, जबकि निर्वाचन निर्वाचति होने का पहला मामला वर्ष 2012 में सामने आया था।

निर्वाचनों के [संचालन नियम 1961](#) के नियम 11 में कहा गया है कि: “(1) [रिटर्निंग ऑफिसर \(RO\)](#) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की तैयारी के पश्चात् तुरंत उस सूची की एक प्रतिलिपि अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा और जहाँ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर या उससे कम हो, वहाँ वह सूची लगवाने के ठीक पश्चात् धारा 53 की, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निर्वाचन का परिणाम, प्ररूप 21 से 21B तक में से किसी ऐसे एक प्ररूप में, जो समुचित हो, घोषित करेगा...”

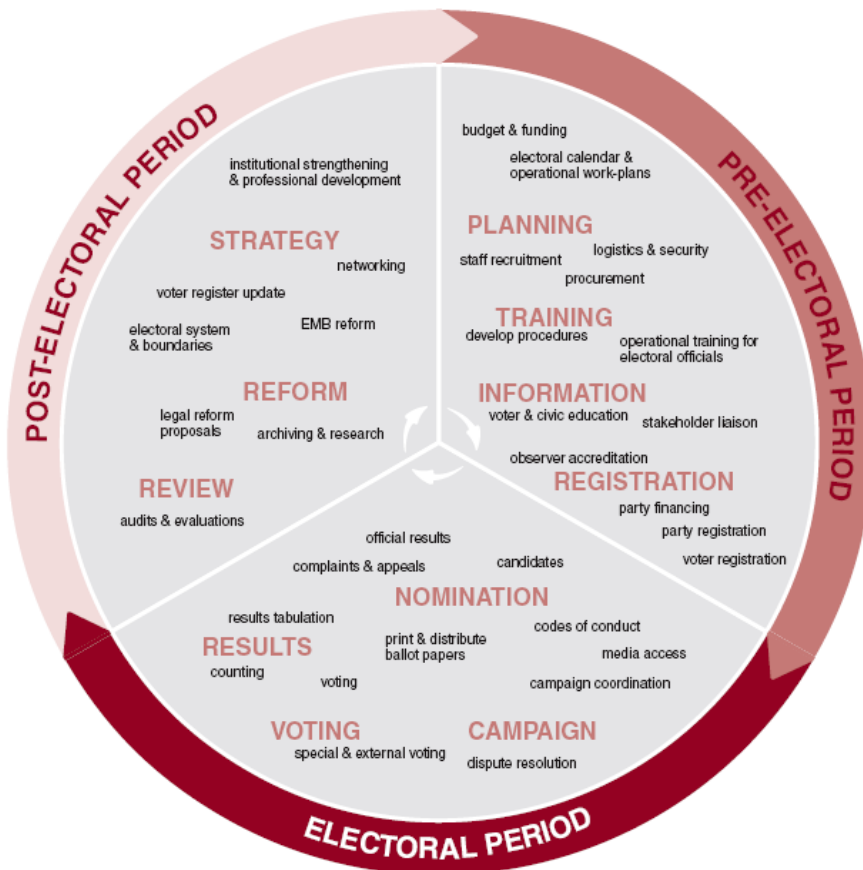
नोट

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 (Conduct of Election Rules 1961):

- **आशयति निर्वाचन की लोक सूचना:** आशयति निर्वाचन की लोक सूचना, जो धारा 31 में निर्दिष्ट है, प्ररूप 1 में होगी और निर्वाचन आयोग के कनिष्ठी नदिशों अध्याधीन रहते हुए ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी जैसी रिटर्निंग ऑफिसर ठीक समझता हो।
- **नामांकन पत्र या नामनिर्देशन पत्र:** हर नामनिर्देशन पत्र, जो धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन उपस्थिति किया गया है, 2A से 2E तक के प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में पूरा किया जाएगा, जैसा समुचित हो:
 - परंतु प्ररूप 2A या प्ररूप 2B में नामनिर्देशन-पत्र में प्रतीकों के बारे में घोषणा को पूरी करने में असफलता या पूरी करने की त्रुटि की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह धारा 36 की उपधारा (4) के अर्थ के भीतर सारवान स्वरूप की त्रुटि है।
- **नामांकन पत्र देते समय फाइल किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप:** यथास्थिति, अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावकर्ता, जैसा भी मामला हो, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र सौंपते समय उसे, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी नोटरी के समक्ष प्ररूप 26 में अभ्यर्थी द्वारा ली गई शपथ का एक शपथ पत्र भी देगा।
- **संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों के लिये प्रतीक:** [निर्वाचन आयोग](#) भारत के राजपत्र में और प्रत्येक राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन प्रतीकों का, जिनमें **संसदीय** या सभा [निर्वाचन क्षेत्रों](#) में निर्वाचनों में के अभ्यर्थी चुन सकेंगे और उन निर्बंधनों

का, जनिके अध्यक्षीन उनका चुनाव होगा, वनिर्देश करेगा।

Electoral Cycle



//

वर्तमान मुद्दा:

- **वशिष्टी दल के उम्मीदवार के नामांकन का वशिष्ट:**
 - इस मामले में, सूरत नरिवाचन क्षेत्र के वपिक्षी दल के उम्मीदवार ने नामांकन पत्रों के तीन सेट फाइल किये थे। इन तीनों नामांकन पत्रों के प्रस्तावकों में उसका बहनोई, भतीजा और कारोबारी साझेदार शामिल थे। सत्तारूढ़ दल के एक कार्यकर्ता ने वपिक्षी उम्मीदवार के नामांकन पर आपत्त जताते हुए आरोप लगाया कि उसके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर जाली थे।
- **नामांकन पत्रों की अस्वीकृति:**
 - RO को उन प्रस्तावकों से भी हलफनामे प्राप्त हुए, जहाँ दावा किया गया कि उन्होंने उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। जताई गई आपत्तियों पर उम्मीदवार से एक दिन के भीतर जवाब/स्पष्टीकरण की मांग की गई। चूँकि निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रस्तावकों को संवीक्षा के लिये RO के समक्ष पेश नहीं किया जा सका, इसलिये उसके नामांकन पत्रों के तीनों सेट खारज कर दिए गए।

नोट

रटिर्नगि ऑफिसर:

- रटिर्नगि ऑफिसर (ROs) किसी नरिवाचन क्षेत्र वशिष्ट में नरिवाचन के संचालन की नगरानी के लिये ज़म्मेदार होते हैं। वे भारत नरिवाचन आयोग (ECI) द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- उनके कर्तव्यों में उम्मीदवारों से नामांकन स्वीकार करना, नामांकन पत्रों की जाँच करना, उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित करना, मतदान प्रक्रिया का संचालन करना और मतों की गणनी कराना शामिल है। ROs यह सुनिश्चित करते हैं कि नरिवाचन उचित एवं नषिपक्ष तरीके से और वधि के अनुरूप आयोजित किये जाएँ।
- **अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भी खारज:**
 - नरिवाचन नथिम किसी राजनीतिक दल द्वारा स्थानापन्न उम्मीदवार (substitute candidate) खड़ा करने की अनुमति देते हैं। यदि मूल उम्मीदवार का नामांकन खारज हो जाता है तो इस स्थानापन्न उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जा सकता है। इस मामले में वपिक्षी दल ने अपना स्थानापन्न उम्मीदवार खड़ा किया था।

- हालाँकि, इस स्थानापन्न उम्मीदवार का नामांकन पत्र भी इस कारण से खारजि कर दिया गया कि प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं थे। शेष अन्य उम्मीदवारों के नामांकन या तो खारजि कर दिए गए या वे वापस ले लिए गए, जिससे सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को वजिहा घोषित करने का रास्ता साफ हो गया।

भारत में नामांकन संबंधी कानून

■ RPA 1951 की धारा 33:

- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act) की धारा 33** में अधिमार्ग नामनिर्देशन या नामांकन की शर्तें शामिल हैं। अधिनियम के अनुसार 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई निर्वाचक भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है।

■ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रस्तावक:

- हालाँकि, उम्मीदवार के प्रस्तावक/प्रस्तावकों को उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिये जहाँ नामांकन दाखल किया जा रहा है। किसी मान्यता प्राप्त दल (राष्ट्रीय या राज्य) के मामले में उम्मीदवार के पास एक प्रस्तावक का होना आवश्यक है।

■ गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रस्तावक :

- गैर-मान्यता प्राप्त दलों द्वारा खड़े किये गए उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिये दस प्रस्तावकों का होना आवश्यक है। एक उम्मीदवार अलग-अलग प्रस्तावकों के समर्थन के साथ अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखल कर सकता है। इसका उद्देश्य किसी उम्मीदवार के नामांकन की स्वीकृति को अधिकतम संभव बनाना है, जहाँ चार में से कोई एक भी व्यवस्थित होने के लिये स्वीकृत हो जाए।

■ नामांकन पत्रों की संवीक्षा:

- RPA की धारा 36 रटिर्नगि ऑफिसर (RO) द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा के संबंध में कानून निर्दिष्ट करती है। इसमें यह प्रावधान है कि RO किसी ऐसी त्रुटि के लिये किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो सारवान प्रकृति की नहीं है।
- हालाँकि, यह निर्दिष्ट करता है कि उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर का असली नहीं होना अस्वीकृति का आधार है।

उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन से संबद्ध विभिन्न मुद्दे

■ 'नोटा' (NOTA) मतदाताओं के लिये चिताएँ:

- सवाल उठाया जा रहा है कि यह प्रक्रिया मतदाताओं को नोटा (None of the Above- NOTA) विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती है। नोटा का विकल्प मूल रूप से कानून में प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को इस बारे में 'प्रबुद्ध' करने के लिये कि कुछ मतदाता उनके बारे में क्या राय रखते हैं, न्यायालय के निर्देशों पर इसे शामिल किया गया।
- यदि यह कहा जाए कि नोटा किसी भी तरह से निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है तो नोटा के विकल्प में विश्वास करने वाले मतदाताओं को यह सुनना अपमानजनक लग सकता है। हालाँकि अफसोस की बात यह है कि राजनीतिक दलों पर इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता नहीं आता।
- इस प्रकार, राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने के लिये एक प्रगतिशील सुधार के रूप में जिसकी कल्पना की गई थी, वह व्यवस्था में इस स्थिति में आ गया है कि इसकी वैधता कमजोर हो गई है।

■ मतदाताओं की प्रासंगिकता को कम आँकना:

- निर्विरोध निर्वाचन एक अर्थ में 'निर्वाचक' (जैसे RPA में "किसी निर्वाचन क्षेत्र में वह व्यक्ति जिसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है और अधिनियम में वर्णित निरुहताओं में से किसी के अधधीन नहीं है" के रूप में परिभाषित किया गया है) को अपना प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया से पूरी तरह अपवर्जित कर देता है।
- जिस व्यक्ति को निर्वाचक का एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ, वह संसद में संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि के रूप में बैठेगा। यह ऐसा द्वंद्व है जो वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। इसे व्यावहारिक बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है, भले ही यह पूरी तरह से समुचित न लगे। मत के लिये जब तक अलग-अलग पक्षों की मांग नहीं होगी, तब तक मतदाताओं की पसंद परकल्पित ही होगी, क्योंकि उनके पास पसंद के लिये विकल्प ही नहीं होगा।

■ चरम स्थिति की कल्पना:

- एक चरम स्थिति में, 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सभी उम्मीदवार (भले ही उनकी संख्या 10,000 हो और वे विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हों या या स्वतंत्र उम्मीदवार हों) प्रणाली के साथ खलिवाड़ कर सकते हैं और प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए लेकिन लोकतंत्र की भावना को गंभीर रूप से आघात पहुँचाते हुए एक बलियन मतदाताओं को उनके सांविधिक अधिकार से वंचित कर सकते हैं।
- यह तर्क दिया जा सकता है कि मतदाता तब भी अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं जब चुनाव लड़ने के लिये कोई उम्मीदवार ही न हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब प्रतियोगियों और मतदाताओं के बीच हित मौजूद हों। मत देने के लिये मत मांगे जाने की शर्त लागू होती है।

■ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 65 के तहत अस्पष्ट प्रावधान:

- प्रणाली को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में देखा जाता है क्योंकि RPA प्रावधान करता है कि मतदान के पूर्ण बहुषिकार को प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा शून्य मत प्राप्त करने के रूप में देखा जाएगा और यह धारा 65 के दायरे में होगा जो 'मत बराबर होने' से संबंधित है।
- धारा 65 में कहा गया है कि: "यदि मतों की गणना के समाप्त होने के पश्चात् यह पाता चलता है कि किसी अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हैं, और मतों में से एक मत जोड़ दिए जाने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोषित किये जाने के लिये हकदार हो जाएगा, तो रटिर्नगि ऑफिसर उन अभ्यर्थियों के बीच लॉट या लॉटरी द्वारा तत्क्षण वनिश्चय करेगा और ऐसे अगरसर होगा मानो जिस अभ्यर्थी के हक में लॉट निकली है उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हो गया है।"
- निर्विरोध निर्वाचन लोगों के प्रतिनिधि के चयन में लोगों की भागीदारी के बिना लोगों की इच्छा को प्रणाली की व्यावहारिक सुगमता से प्रतस्थापित कर देता है। जहाँ लोकतंत्र को "जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिये सरकार" के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह अपरहार्य स्थिति है।

नामांकन पत्रों की अस्वीकृति के वरिद्ध उपलब्ध वभिनिन उपाय:

■ नरिवाचन न्यायाधकिरण वकिल्पों की खोज:

- RPA 1951 ऐसे वविदों को सुलझाने के लयि नरिवाचन न्यायाधकिरण (Election Tribunal) की स्थापना करता है। अधनियिम की धारा 100 कसिी उम्मीदवार के नरिवाचन को नरिस्त घोषति करने के आधार की रूपरेखा नरिदषिट करती है। नरिवाचन न्यायाधकिरण के नरिणय से असंतुषट पक्ष उच्च न्यायालय और अंततः **सर्वोच्च न्यायालय** में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नरिणयों के माध्यम से चुनावी वविदों के संबंध में महत्त्वपूर्ण दृष्टांत स्थापति कयि हैं।

■ RPA 1951 के साथ पठति अनुच्छेद 329 का आश्रय लेना:

- RPA 1951 के साथ पठति संवधान के अनुच्छेद 329 (b) में प्रावधान है कि संबंधति **उच्च न्यायालय** के समक्ष नरिवाचन याचकिा को छोड़कर कसिी भी प्रकार से नरिवाचन पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। जनि आधारों पर ऐसी नरिवाचन याचकिा दायर की जा सकती है, उनमें से एक नामांकन पत्रों की अनुचति अस्वीकृति है।
 - सूरत के नवीन मामले में उपलब्ध कानूनी उपाय गुजरात उच्च न्यायालय में नरिवाचन याचकिा दायर करना है। RPA में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय छह माह के भीतर ऐसे वचिरण पूरी कर लेने का प्रयास करेंगे, हालाँकि अतीत में प्रायः इसका पालन नहीं कयिा गया है। नरिवाचन याचकिाओं का शीघ्र नसितारण सही दशिा में एक कदम होगा।

नोट

अनुच्छेद 329 – नरिवाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन:

■ इस संवधान में कसिी बात के होते हुए भी—

- अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लयि तात्परयति कसिी ऐसी वधि की वधिमान्यता, जो नरिवाचन-क्षेत्रों के परसिमन या ऐसे नरिवाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधति है, कसिी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।
- संसद के प्रत्येक सदन या कसिी राज्य के वधिन-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लयि कोई नरिवाचन ऐसी नरिवाचन अरजी पर ही प्रश्नगत कयिा जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जसिका समुचति वधिन-मंडल द्वारा बनाई गई वधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध कयिा जाए, अन्यथा नहीं।

नरिवाचन याचकिा का वचिरण – RPA 1951 की धारा 86:

- उच्च न्यायालय को नरिवाचन अरजी उपस्थापति कयि जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उसे उस न्यायाधीश को या उन न्यायाधीशों में से एक को नरिदषिट कयिा जाएगा जो नरिवाचन अरजियों के वचिरण के लयि **मुख्य न्यायाधीश** द्वारा धारा 80A की उपधारा (2) के अधीन समनुदषिट कयिा गया है या कयि गए हैं।
- नरिवाचन अरजी का वचिरण, जहाँ तक कविह वचिरण के बारे में न्याय के हतियों से संगत रहते हुए साध्य हो उसकी समाप्ततिक दनि परतदिनि चालू रहेगा, जब तक उच्च न्यायालय उन कारणों से जो अभलिखति कयि जाँएँ यह नषिकर्ष न निकाले कविचिरण को आगामी दनि से परे स्थगति करना आवश्यक है।
- प्रत्येक नरिवाचन याचकिा पर यथासंभव शीघ्रता से वचिरति की जाएगी और उस तथि से, जसिको नरिवाचन अरजी उच्च न्यायालय को वचिरण के लयि उपस्थापति की गई है, छह माह के भीतर वचिरण को पूर्ण करने का प्रयास कयिा जाएगा।
- **सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना:**
 - पीड़ति पक्ष उच्च न्यायालय के आदेश के 30 दनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है:
 - **जगन नाथ बनाम जसवंत सहि (1954) मामले** में नरिवाचन वविदों पर एक महत्त्वपूर्ण नरिणय देते हुए **सर्वोच्च न्यायालय** ने स्थापति कयिा कि यह साबति करने का भार याचकिाकर्ता पर है कि कसिी उम्मीदवार का नरिवाचन भ्रष्ट आचरण से उल्लेखनीय रूप से प्रभावति हुआ है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कयिा कि नरिवाचन याचकिा का दायरा RPA 1951 की धारा 100 में उल्लिखति आधार तक ही सीमति है।
 - मोहदिर सहि गलि बनाम मुख्य नरिवाचन आयुक्त (1978) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दयिा कि नरिवाचन नषिपक्ष रूप से आयोजति कयि जाने चाहयि और इस सदिधांत का कोई भी उल्लंघन नरिवाचन को रद्द कर देगा। न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि नरिवाचन न्यायाधकिरण भ्रष्ट आचरण के आरोपों की जाँच कर सकता है, भले ही नरिवाचन याचकिा में यह मांग स्पष्ट रूप से नहीं की गई हो।
- **‘फरसट-पासट-द-पोसट-ससिटम’ (FPTPS) में संशोधन:**
 - RPA 1951 में पहली बार नामांकन दाखलि करने वाले कसिी भी उम्मीदवार के न होने पर दूसरी अधसूचना जारी करने का प्रावधान है, लेकिन उसके बाद पुनः इसे दोहराए जाने पर यह मूक है। हालाँकि, इसके पास एक समाधान यह है लोगों को पूरी तरह से अपवर्जति कयिा जाए, यदि लोग नरिवाचन से दूर रहते हैं और ‘नोटा’ के वकिल्प से वंचति हैं, क्योंकि नोटा का लोकतांत्रकि अभ्यास में कोई महत्त्व नहीं है।
 - उम्मीदवार इस प्रक्रयिा को रद्द कर सकते हैं लेकिन लोग सामूहकि रूप से ऐसा नहीं कर सकते। वजियी उम्मीदवारों की घोषणा के लयि मतों का न्यूनतम प्रतशित लागू कर **फरसट-पासट-द-पोसट-ससिटम** में संशोधन करने पर वचिरा कयिा जाना चाहयि।
 - इसी प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार दूसरी बार भी नरिवाचन के लयि स्वयं को पेश नहीं करता है तो उस सीट को मनोनीत की श्रेणी में स्थानांतरति कर दयिा जाना चाहयि, जहाँ **भारत के राष्ट्रपति** सरकार से परामर्श कयि बनिा नरिधारति योग्यता के अनुसार कसिी व्यक्ती को मनोनीत कर सकते हैं।

नषिकर्ष:

भारत में नृषिपक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनश्चिति करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है, लेकिन जब उम्मीदवारों को नरिवरिध नरिवाचति कयि जाने से इस लक्ष्य से समझौता हो जाता है। भारत व्यापक कानूनी ढाँचे, सुदृढ़ संस्थानों और सक्रयि नागरकि भागीदारी के माध्यम से ऐसे नरिवाचनों की दशा में प्रयास कर सकता है जो कदाचार एवं हेरफेर से मुक्त हों। चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करना राजनीतिक दलों, चुनावी अधिकारियों और न्यायपालकि सहति सभी हतिधारकों के लिये अनवार्य है। भारत नृषिपक्षता, पारदर्शति और जवाबदेही के मूल्यों को बरकरार रखते हुए अपनी लोकतांत्रिक नींव को सुदृढ़ कर सकता है तथा यह सुनश्चिति कर सकता है किलोगों की इच्छा एवं अभवियक्ता शासन की आधारशला बनी रहे।

अभ्यास प्रश्न: भारत में स्वतंत्र और नृषिपक्ष नरिवाचन सुनश्चिति करने में लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951 के महत्त्व की चर्चा कीजयि। यह समय के साथ कसि प्रकार वकिसति हुआ है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचारि कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकिय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभाजन/वलय से संबंधति ववाद नपिटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. आदर्श आचार-संहति के उद्भव के आलोक में, भारत के नरिवाचन आयोग की भूमकि का वविचन कीजयि। (2022)

प्रश्न. भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिये भारत नरिवाचन आयोग ने वर्ष 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दयि है। सुझाए गए सुधार क्य़ा हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे कसि सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017)